

18.8.2018

वादी वकील उपर।

पेरोकार सरकार उपर।

~~वादी वकील की कहल हुनी~~

गई, पेरोकार सरकार की भी

~~सीधी कहल हुनी गई।~~

पेरोकार सरकार निवेदन किया,

कि वादी ने राजकीय भूमि पर

इन्फ्रिंजमेंट कर इन्फ्रिंजमेंट की शिकायत

से कहने के आधार पर एका

पेश करने का अधिकारी नहीं

है, वादी यदि भूमि निगम की

पापरा रखता है, तो वह

कंपन एवं निगम कलाटकार

समिति के समक्ष भूमिहीन होने

के साक्ष्य पेश कर निवेदन

प्रस्तुत कर सकता है, वादी

का वाद कहने के आधार पर

व्यलने योग्य नहीं है, क्योंकि

धारा 91 के अन्तर्गत एका केरफली


के इन्फ्रिंजमेंट पारित कर वादी को

बेदखल किया गया है।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोली



~~हमने मणवली का डवलोकन~~
~~किया गया, बाद डवलोकन~~
~~समूची रिपोर्ट पर मनन करने~~
~~पर वादी के द्वारा राजकीय~~
~~अर्थ मंत्रालय के डे~~
~~डि. नं. 411/228 रकम 9.05~~
~~बीमा के डे 3 बीमा 14 दिना~~
~~बाद उत्तर आराजी में इन्सिकुरि~~
~~के डे रिपोर्ट के कडजे के~~
~~आधार पर दावा प्रस्तुत~~
~~किया गया है, वादी के~~
~~विकट्ट धारा 91 RLR अक्ट. 1953~~
~~के अन्तर्गत 2 पर कार्यवाही~~
~~कर खेदवली के आदेश प्रारि~~
~~किते गये है, इन्सिकुरि के~~
~~डे रिपोर्ट से वादी दावा लाने का~~
~~इन्सिकुरि नही होने से कडजे~~


 सहायक कलेक्टर
 (S.D.O.) बालोतरा

~~के आधार वाली के द्वारा~~
~~उक्त वाद पर को इली~~
~~स्टेज पर डिस्कीकार कर~~
~~खारिज किया जाना है।~~
~~डिडी पन्चा जारी है।~~

(~~नरेश सोनी~~)
सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतस

~~निर्णय आज दि 18.08.2021~~

~~के मुले न्यायालय में सुनाया~~
गया।

(~~नरेश सोनी~~)
सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतस